

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

26 / 2022

श्री हनुमान प्रसाद कुमावत निवासी टक्कर चौक ऐजेन्सी ऐरिया राजपूत कॉलानी
देवली तहसील देवली जिला टोंक राज

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 28.7.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला-टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27-04-2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-


कार्यालय उप निदेशक एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली (टोंक) के आवन्टन आदेश क्रमांक 1291-93 दिनांक 16.01.1993 के द्वारा खसरा नम्बर 2434/2393 व 2433/2393 को आवन्टित भूमि का काश्तकारों को कब्जा देते वक्त लट्टा सीट में (कपडे की सीट पर) की गई तरमीन की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दी जावे। जो ऑन लाईन से पूर्व की है जो नक्शा ट्रेस पत्र के साथ सलग्न है।

नोट- सन् 2018 में ऑन-लाईन के समय प्लास्टिक सीट में उक्त खसरो नम्बरों की तरमीन बदल दी गई है। जो नहीं चाहिए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला-टोंक को पत्र क्रिमांक 661 दिनांक 23-6-2022, 676 दिनांक 4.07.2022 व 720 दिनांक 14.7.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी ने पत्र क्रमांक: 1232 दिनांक 18-07-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके पत्र क्रमांक 1050 दिनांक 7.07.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है और साथ ही अपीलार्थी को वर्तमान डिजिटलाईजेशन शीट की प्रमाणित प्रति पूर्व में आरटीआई के तहत उपलब्ध करा दी गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक

